न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 9/2025 ई.रे. दिनांक 25.08.2025

1— श्री ऊंकार पिता रकबा मीणा निवासी दयालपुरा तहसील बडीसादडी

— प्रार्थी

बनाम

1— श्री सवा उर्फ सवसिंह पिता रकबा मीणा निवासी दयालपुरा तहसील बडीसादडी
2— भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एंव उपंजीयक बडीसादडी

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित— श्री जे.पी. वैष्णव वकील प्रार्थी
श्री एम.के. गोस्वामी वकील विपक्षी

—:: आदेश::—

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. का इस आशय का पेश किया कि

1. मौजा दयालपुरा की आराजी नंबर —132, रकबा 0.2000 हे0, लगानी 3.80 रूपया,आराजी नंबर 138, रकबा 0.0900 हे0,लगानी 1.71 रूपया, आराजी नंबर—149/65 रकबा 0.3900 हे0, लगानी 5.07 रूपया, आराजी नंबर—150/131,रकबा 0.1600 हे0, लगानी 3.04 रूपया, आराजी नंबर—151/134,रकबा 0. 2000 हे0, लगानी 8.36 रूपया,आराजी नंबर—154/137, रकबा 0.1800 हे0, लगानी 3.42 रूपया एंव आराजी नंबर—158/10,रकबा 1.3400 हे. लगानी 17.42 रूपया, कुल खसरे 8, कुल रकबा 3.0000 हे0,कुल लगानी 46.6200 रूपया मोजा ग्राम दयालपुरा,प.ह.महुडा तहसील बडीसादडी में स्थित है।
2. उक्त आराजी नंबर—124,रकबा 0.3900हे0,लगानी 5.07 रूपया ,आराजी नंबर—125,रकबा 0. 8600हे0,लगानी 11.18 रूपया,आराजी नंबर—126, रकबा 0.0900हे0,लगानी 0.18 रूपया,आराजी नंबर—49,रकबा 0.4900हे0,लगानी 6.37 रूपया एंव आराजी नंबर— 50,रकबा 0.1400हे0,लगानी 1.82 रूपया,कुल खसरे 5,कुल रकबा 1.9700हे0,कुल लगानी 24.6200 रूपया वाली आराजीयात में प्रार्थी का 3/8 हक, विपक्षीगण नं0 1सवा का 1/8 हक निहित होकर दर्ज रेकार्ड हैं।
3. उक्त प्रार्थना पत्र की कलम सं0 01 एंव 02 में वर्णित आराजीयात पा प्रार्थी एंव विपक्षीगण नं0 1 सवा अब तक संयुक्तरूप से काबिज हो काश्त करते चले आ रहें है, लेकिन अब विपक्षीगण नं0 1 के मन मे बदनियति पैदा हो गई है तथा यह प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की कलम सं0 02 व 03 में दर्ज आराजियात मे से जबरन बैदखल कर उक्त खातेदारी मे दर्ज आराजियात का सम्पूर्ण रकबा अपने कब्जे काश्त मे रखना चाहता है तथा प्रार्थता पत्र की चरण सं0 02 व 03 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात का मोके पर प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य वाहमी तौर पर माफिक रेकार्ड हक अनुसार अन्दाज से बंटवाडे किये हुए होकर प्रार्थी एंव विपक्षिगण मौके पर [illegible] आराजियात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें हैं, लेकिन प्रार्थी एंव विपक्षी नं0 [illegible] वादग्रस्त आराजीयात के लगान को जमा कराने, को लेकर विवाद होता [illegible] प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात में जबरन बेदखल कर कब्जा करना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:14:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

4– यह कि वादग्रस्त आराजीयात का अभी तक विधिवत् बटवाडा नही हुआ हैं। जिससे विपक्षी नं0,प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त की आराजीयात से बेदखल कर,प्रार्थी के कब्जे में आई भूमि पर कब्जा करना चाहता हैं तथा वादग्रस्त आराजीयात का बिना बंटवाडा कराये बिना ही खुर्द,बुर्द करना चाहता हैं, जिससे प्रार्थी, विपक्षीगण, को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी हैं कि विपक्षी नं0–1,प्रार्थी के हक हिस्से एंव कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी प्रकार की दंखलदाजी नही करें ,न करावे, तथा अराजीयात को किसी प्रकार से खुर्द,बर्द न करें न करावें, प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त की आराजीयात पर शांतिपुर्वक काबिज रहने दें।

5– यह कि प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला होकर सुविधा का संतुलन एंव अपुर्णीय क्षति के सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में हैं, क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार,काश्तकार होकर मौके पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं तथा विपक्षी नं0–1 प्रार्थी को जबरन उसके हक हिस्से की आराजी से बेदखल कर वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द,बुर्द करना चाहता हैं, इसलिये विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। यदि विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात से जबरन बेदखल कर देगा एवं हक हिस्से को खुर्द,बुर्द कर देगा, जिससे आपस में विवाद बढेगे तथा व्यर्थ में समय श्रम एवं धन का अपव्यय होगा तथा प्रार्थी को भारी असुविधा से साथ ऐसी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नही होगा।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 व 2 में अंकित वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात पर जबरन बेदखल कर कब्जा न करे न करावें एवं वादग्रस्त आराजीयात का हस्तान्तरण न करे न करावे एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वकील विपक्षी ने अपने जवाब में निम्न बिन्दु पेश किये।

1. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित समस्त तथ्य मनगढत होने से अस्वीकार हैं। यह कि प्रार्थी उंकार व विपक्षी सवा के मौके पर पालीया नही पडी हुई है मौके पर खेतो की कमी पेश तथा अच्छी अच्छी बुरी बुरी जमीन को लेकर विवाद होता है। यह कि विपक्षी सवा व प्रार्थी उंकार दोनों सगे भाई हैं। यह कि प्रार्थी ने अच्छी अच्छी व उपजाउ जमीन पर कब्जा कर लिया है और विपक्षी काश्त नही कर सकता है प्रार्थी उंकार ने रोड व रास्ते के पास आगें अच्छी अच्छी जमीन पर कब्जा कर लिया है तथा विपक्षी सवा के लिए पीछे, खराब व अनउपजाउ भुमि छोडी है जिस पर विपक्षी काश्त नही कर सकता। इसलिए प्रार्थी व विपक्षी के बीच अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी सब के हिस्से में भुमि आये उसी अनुसार बटंवाडा किया जावें।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य मनगढत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी ने रोड व रास्ते के पास आगें अच्छी अच्छी जमीन पर कब्जा कर लिया है तथा मुझ विपक्षी सवा के लिए पीछे, खराब व अनउपजाउ भुमि छोडी है जिस पर में काश्त नही का सकता ।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य मनगढत होने से अस्वीकार हैं। विपक्षी सवा ने कभी भी प्रार्थी को वेदखल करने की कोशिश नही की। बल्कि प्रार्थी ने विपक्षी सवा को अपने हक हिस्से से महरूम कर रखा है।

उभयपक्षो के तर्को के एवं वहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं का प्रमाणित होना है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:14:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

1— **प्रथम दृष्टया मामला**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र दस्तावेजों के एवं अभिवचनों के आधार पर साबित करने में असफल रहा है इसलिये अप्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. **सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :—**

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो की तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है।

अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा दयालपुरा पटवार हल्का महुड़ा की आराजी नं. 132, 138, 149／65, 150／131, 151／134, 152／136, 154／137, 158／10 कुल किता 8 रकबा 3.0000 हैक्ट. तथा आराजी नं. 124, 125, 126, 49, 50 कुल किता 5 रकबा 1.9700 हैक्ट. भूमि पर विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात पर जबरन बेदखल कर कब्जा न करे न करावें एवं वादग्रस्त आराजीयात का हस्तान्तरण न करे न करावे एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

यह आदेश आज दिनांक 25／08／2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:14:49 IST
Reason: SelfAttested